अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
पूर्वी कोशी तटबंध अंचल, सहरसा।

Email ld-seekecs@gmail.com, Mob No. 7463889424

भाड़े पर वाहन लेने हेतु पुर्न अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना–02/2025–26

पत्रांक– .... / सहरसा, दिनांक–.........

अधीक्षण अभियंता पूर्वी कोशी तटबंध अंचल, सहरसा के अधीन योजनाओं के अनुश्रवण एवं निरीक्षण तथा उच्चाधिकारियों की बैठक में भाग लेने इत्यादि कार्य हेतु भाड़े पर एक (01) अदद वाहन बोलेरो/स्कार्पियो (चालक सहित) वित्तीय वर्ष–2026–27 के लिए आवश्यकता है। इच्छुक वाहन मालिकों/फार्म/आपूर्तिकर्त्ता से मुहरबंद लिफाफा में वाहन की आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

1.	कोटेशन आमंत्रित करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता	:	अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, पूर्वी कोशी तटबंध अंचल, सहरसा
2.	कोटेशन आमंत्रण की तिथि	:	11-03-2026
3.	कोटेशन जमा करने की अवधि	:	दिनांक–24–03–2026 को 10:00 बजे पूर्वाहन से 03.:00 बजे अपराह्न तक।
4.	कोटेशन प्राप्त करने का स्थान	:	अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, पूर्वी कोशी तटबंध अंचल, सहरसा।
5.	कोटेशन खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	:	दिनांक–24–03–2026 समय 3:30 बजे अपराह्न, अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, पूर्वी कोशी तटबंध अंचल, सहरसा।
6.	कार्य विवरण तथा नियम एवं शर्ते	:	अनुलग्नक के रूप में संलग्न।

11.3.26

अधीक्षण अभियंता
पूर्वी कोशी तटबंध अंचल, सहरसा।

11/03/26

कोटेशन पर वाहन रखने हेतु शर्त्तें :-

1. भाड़े पर वाहन मार्च 2027 तक लिया जायेगा। अवधि विस्तार की स्थिति में एकरारित दर पर ही वाहन को आगे के लिए रखा जायेगा। व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।
2. सरकारी मानकों के अनुसार वाहन की Fitness वैधता होनी चाहिए एवं भौतिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए।
3. भाड़े पर लिये जाने वाले वाहन का दैनिक रख-रखाव एवं उसकी सभी प्रकार की मरम्मती, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म/आपूतिकर्त्ता द्वारा ही किया जायेगा एवं चालक पर होने वाले व्यय वाहन मालिक द्वारा किया जाएगा।
4. सभी प्रकार के प्रावधानित करों एवं अन्य शुक्ल आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन का कागजात, टैक्स, बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए।
   मालिक/फर्म/आपूर्तिकर्त्ता का जी0एस0टी0 निबंधन, PAN, वैध आचरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
6. वाहन चालिक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म/आपूत्तिकर्ता का होगा।
8. वाहन के उपयोग के विरूद्ध किराया ईंधन रहित देय होगा।
9. वाहन के उपयोग के लिए लॉग बुक का संधारण वाहन मालिक की जवाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगें।
10. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) न्यूनतम दर के आधार पर कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
11. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लीटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
12. वाहन का किराया जिलाधिकारी, सहरसा द्वारा निर्धारित दर एवं कोटेशनदाता से प्राप्त न्यूनतम दर में से जो कम हो, स्वीकार होगा तथा तदनुसार उसी दर पर भुगतान विभाग से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् किया जायेगा।
13. वाहन वर्ष 2022 मॉडल से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
14. एकरारनामा किसी भी समय एक माह की नोटिस पर रद्द की जा सकती है।
15. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म/आपूर्तिकर्ता का दायित्व होगा कि वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेगें।
16. वाहन आकस्मिक चिकित्सा किट एवं अग्निशमन उपकरण के साथ सुसज्जित रहेगा।
17. इच्छुक वाहन मालिक/फर्म/आपूतिकर्त्ता उक्त 01 से 15 तक के शर्त्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ-पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 5 एवं 6 संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेगें।
18. एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर कोटेशनदाताओं के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म/आपूर्तिकर्त्ता का चयन किया जायेगा।
19. शपथ-पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।
20. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के सूचना पट्ट एवं बेवसाईट **www.wrd.nic.in** पर देखा जा सकता है।

ह0/-
अधीक्षण अभियंता
पूर्वी कोशी तटबंध अंचल, सहरसा।

पत्रांकः–   /   सहरसा,   दिनांकः–

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/–
अधीक्षण अभियंता
पूर्वी कोशी तटबंध अंचल, सहरसा।

पत्रांकः– 687   /   सहरसा,   दिनांकः– 11-03-2026

प्रतिलिपिः– जन–सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि निविदा का प्रकाशन वेबसाईट एवं लोकप्रिय समाचार पत्रों में करने की कृपा की जाय।

11.3.26
अधीक्षण अभियंता
पूर्वी कोशी तटबंध अंचल, सहरसा।

11/03/26